Government of Rajasthan
STATE PROJECT
DIRECTORATE
Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyaan(RUSA)
Telefax:0141-2712916-17; email: spdrusaraj@gmail.com

Report of activities done under EBSB (January 2020)

1. **Name of club (Name of Institution)-** M.B.C.GOVT. GIRLS COLLEGE,BARMER
2. **Email id-** mbcggc@gmail.com
3. **Name of club coordinator (Teacher)-** **DAYALAL SANKHLA**
4. **Mobile no. of club coordinator (Teacher)-** **8952005232**___________
5. **Name of club coordinator (Student)-** **PAYAL JAIN**_____________
6. **Mobile no. of club coordinator (Student)-**______________________
7. **Activity-1:**
   (a) Name of Activity- Pledge on Swachhta

   (b) Date: 24-01-2020

   (c) Brief Description of Activity (in English) - The staff and students pledge in asamiya language by principal.
   (d) Selected Photos (maximum 2 photos per activity)

Activity-2:

(a) Name of Activity- Classes to teach Language of paired State

(b) Date: 25-01-2020

(c) Brief Description of Activity (in English) - knowledge on assam's culture, history and language

(d) Selected Photos (maximum 2 photos per activity

Activity-3:

(a) Name of Activity- Celebrate Ek Bharat Shreshtha Bharat
(b) Date: 30-01-2020
(c) Brief Description of Activity (in English) – Students sharing experience of Celebrate Ek Bharat Shreshtha Bharat
(d) Selected Photos (maximum 2 photos per activity)

महिलाए घरेलू हिंसा पर घबराए नहीं : सुथार

– सहकार समाचार, बाड़मेर।

महिलाए घरेलू हिंसा पर घबराए नहीं, कानून का सहारा लें। यह बात एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. हुकमाराम सुथार ने इंदिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उड़ान योजना की ओर से महिला घरेलू हिंसा एवं कार्यशाला पर यौन शोषण विषय पर आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किए।

इस अवसर पर सरिता लीलड़ ने महिला घरेलू हिंसा पर छात्रों से संवाद कर उन्हें बताया कि महिला की प्रति हिंसा एक बहुआयामी मुद्दा है, जिसके सामाजिक, निजी, सार्वजानिक तथा लैंगिक पहलू हैं। विभिन्न रूप एवं संभावित परिणाम एवं उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम को बनाया ओर लागू भी किया हैं। इस अवसर पर प्रो. गायत्री तंवर ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है। इससे संबंधित शिकायत किसको करनी हैं तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। इस अवसर पर छात्रों ने विभिन्न प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत की। राष्ट्रीय सेवा योजना की अंतर्गत एक भारत, श्रेष्ठ भारत योजना की तहत एक भारत, श्रेष्ठ भारत क्लब का गठन किया गया। कार्यक्रम संयोजक प्रो. डायालाल सांखला ने छात्रों को असम राज्य की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, शिक्षा एवं भाषा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्लब की माध्यम से छात्राएं असमिया भाषा कला संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। कार्यक्रम की सह संयोजक गायत्री तंवर ने छात्रों को बताया कि इस क्लब की अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमे छात्राएं हिस्सा लेकर असमिया भाषा एवं संस्कृति को समझ पाएंगे एवं अपने जीवन में उतार पाएंगे।

dainiknavajyoti.com

जोधपुर, रविवार 26.01.2020

महिलाएं घरेलू हिंसा पर घबराये नहीं, कानून का सहारा लें : डॉ. सुथार

नवज्योति/बाड़मेर।

महिलाएं घरेलू हिंसा पर घबराये नहीं, कानून का सहारा लें। यह विचार एम् बी सी राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ हुकमाराम सुथार ने इंदिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उड़ान योजना की ओर से महिला घरेलू हिंसा एवं कार्यशाला पर यौन शोषण विषय पर आयोजित कार्य शाला में व्यक्त किए। इस अवसर पर सरिता लीलड़ ने महिला घरेलू हिंसा पर छात्रों से संवाद कर उन्हें बताया कि महिला की प्रति हिंसा एक बहु आयामी मुद्दा है। जिसके सामाजिक, निजी, सार्वजानिक तथा लैंगिक पहलू है। विभिन्न रूप एवं संभावित परिणाम एवं उपायों पर प्रकाश डाला।

सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम को बनाया ओर लागू भी किया है। इस अवसर पर प्रो जानकारी दी। इस अवसर पर छात्रों ने विभिन्न प्रश्न पूछ कर अपनी जिज्ञासा शांत की। राष्ट्रीय सेवा योजना की अंतर्गत एक भारत, श्रेष्ट भारत योजना की तहत एक भारत, श्रेष्ट भारत क्लब का गठन किया गया। कार्यक्रम संयोजक प्रो डायालाल सांखला ने छात्रों को असम राज्य की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, शिक्षा एवं भाषा की बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया की क्लब की माध्यम से छात्राएं असमिया भाषा कला संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। कार्यक्रम की सह संयोजक गायत्री तंवर ने छात्रों को बताया कि इस क्लब की अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं यथा वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिसमे छात्राएं हिस्सा लेकर असमिया

महिलाएं घरेलू हिंसा से घबराएं नहीं कानून का सहारा लें: डॉ. सुथार

भास्कर संवाददाता | बाड़मेर

बाड़मेर. महिला कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्राएं।

महिलाएं घरेलू हिंसा पर घबराएं नहीं, कानून का सहारा लें। उक्त विचार एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. हुकमाराम सुथार ने इंदिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उड़ान योजना की ओर से महिला घरेलू हिंसा एवं कार्यशाला पर यौन शोषण विषय पर आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किए। इस अवसर पर सरिता लीलड़ ने महिला घरेलू हिंसा पर छात्रों को बताया कि महिला की प्रति हिंसा एक बहुआयामी मुद्दा है। जिसके सामाजिक, निजी, सार्वजनिक तथा लैंगिक पहलू है। विभिन्न रूप एवं संभावित परिणाम एवं उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम को बनाया ओर लागू भी किया है। इस अवसर पर प्रो. गायत्री तंवर ने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है, इससे सम्बन्धित शिकायत किसको करनी है तथा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों कि जानकारी दी। इस अवसर पर छात्रों ने विभिन्न प्रश्न किए। राष्ट्रीय सेवा योजना की अंतर्गत एक भारत, श्रेष्ठ भारत योजना की तहत एक भारत, श्रेष्ठ भारत क्लब का गठन किया गया। कार्यक्रम संयोजक प्रो. डायालाल सांखला ने छात्रों को असम राज्य की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, शिक्षा एवं भाषा की बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्लब के माध्यम से छात्राएं असमिया भाषा, कला व संस्कृति से परिचित हो सकेंगी। कार्यक्रम की सह संयोजक गायत्री तंवर ने बताया कि इस क्लब की अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं यथा वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिसमें छात्राएं हिस्सा लेकर असमिया भाषा एवं संस्कृति को समझ पाएंगे एवं अपने जीवन में उतार पाएंगे।